'वमानी ओवरसीज' के मज़दूर आंदोलन की राह पर

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा

"मैं उसी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने में सक्षम हूं, जहां मज़दूरों की कुल तादाद 250 से नीचे हो। 'वमानी ओवरसीज' में तो 600 से ज्यादा मज़दूर काम करते हैं। इसलिए आपकी शिकायत जिसमें कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं श्रम उपायुक्त फ़रीदाबाद को भेज रहा हूँ", पलवल श्रम सहायक आयुक्त ने 25 तारीख की 'वमानी मज़दूर संघर्ष समिति' तथा 'वमानी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली-मथुरा रोड, गांव पृथला, ज़िला पलवल', की त्रिपक्षीय मीटिंग 5 मिनट में ही निबटा दी। श्रम उपायुक्त फ़रीदाबाद ने फ़ोन पर कहा "आप सब लोग 27 तारीख को 11 बजे मेरे चेंबर में आ जाओ, ये मामला मैं देखूंगा।"

जैसे ही फ़रीदाबाद के कारखानेदारों को मालूम पड़ता है कि उनके मज़दूर संगठित होने लगे हैं, कहीं मीटिंग कर रहे हैं; वे इस तरह बौखला जाते हैं जैसे उनका राज-पाट छिनने जा रहा है। 'किसकी जुर्रत हुई कि हम मालिकों से सवाल करे, हमारी हुकम अदूली करे, ये किसने बग़ावत की जुर्रत की!!' मज़दूरों को यूनियन बनाने का अधिकार भले 1926 में 'ट्रेड यूनियन एक्ट' द्वारा मिल गया हो फरीदाबादी सरमाएदार उस क़ानून को मानने को तैयार नहीं। 25 तारीख को वैसे ही पीड़ादायक समाचार मिलते रहे। मज़दूर कार्यकर्ता दीपक यादव को धमकाया, धमकियां दीं, कारखाने से बाहर नहीं निकलने दिया गया। शाम को मेनेजर के बगल में खड़े होकर उसे ये घोषणा करते सुना गया, 'हमारा समझौता हो गया हमें कोई यूनियन नहीं बनानी'। इस घोषणा से गुस्साए मज़दूर शाम को फिर उसी जगह मिले जहां 20 तारीख को मिले थे। सबने ऐलान किया कि या तो दीपक सभा में आकर यह बताए कि क्या समझौता हुआ, उसे किसने धमकाया वरना हम समझेंगे कि वह बिक गया और न्याय पाने की हमारी तहरीक़ जारी रहेगी।

20 अक्टूबर दक्षिण हरियाणा के मज़दूर आंदोलन में एक यादगार दिन रहा जब 1908 में स्थापित, 'वमानी ओवरसीज', कंपनी में काम कर रहे 400 से भी अधिक मज़दूरों ने हर रोज़ हो रहे शोषण, दमन, उत्पीड़न तथा मालिकों द्वारा देश के सभी श्रम क़ानूनों की उड़ाई जा रहीं धज्जियों से तंग आकर संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। काम बंद कर बल्लभगढ़ स्थित जेसीबी फैक्ट्री के सामने सेक्टर 25 के पार्क में जमा हो गए और नारे लगाने लगे। असंगठित मज़दूर भी सचेत थे कि उनके आंदोलन से किसी नागरिक को कोई असुविधा ना हो इसीलिए कुछ आक्रोशित मज़दूरों का यह प्रस्ताव कि प्रदर्शन देश के प्रमुख और व्यस्त हाइवे मथुरा रोड पर किया जाए को ध्वनिमत से ठुकरा दिया गया। 'हमारे आंदोलन से आने-जाने वाले लोग क्यों मुसीबत भुगतें'।

गुस्से में तमतमाए मज़दूरों में कुछ मज़दूर आज़ाद नगर, सेक्टर 24, फ़रीदाबाद के रहने वाले भी थे। वे जानते थे कि न्याय पाने की उनकी लड़ाई को 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' सही नेतृत्व दे सकता है। उन्होंने मोर्चे के अध्यक्ष कॉमरेड नरेश को फोन कर सारी जानकारी दी। वे तुरंत अपनी टीम के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंच गए और महासचिव कॉमरेड सत्यवीर सिंह को भी तुरंत वहां पहुंचने को कहा। मज़दूरों ने स्वयं, बैठने के लिए दरियां और पीने के पानी की व्यवस्था कर ली थी। आकाश में गूंजते आक्रोशित नारों क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा के लहराते लाल झंडों, बैनर के बीच ज़ोरदार तक़रीरों का दौर शुरू हो गया। एक-एक कर मज़दूर जिनमें कई महिलाएं भी मौजूद थीं, फैक्ट्री में अपने शोषण-उत्पीड़न की दास्तां सुनाने लगे।

"महिलाओं की चेकिंग पुरुष गार्ड करते हैं, रात में 2 बजे तक ज़बरदस्ती ओवरटाइम कराया जाता है, मना करने पर, 'इस्तीफा दो और भागो' कहकर धमकाया जाता है। पुलिस में शिकायत करेंगे कहने पर 'जो मर्ज़ी करो' कहकर हड़काया जाता है, ओवरटाइम भुगतान रजिस्टर पर डबल रेट से लिखी मज़दूरी पर दस्तख़त कराकर सिंगल रेट से ही भुगतान कराया जाता है, दूर प्रांत के रहने वाले मज़दूर जब अपने मूल निवास जाते हैं और किसी वजह से छुट्टी बढ़ा लेते हैं तो उन्हें फिर से अपरेंटिस की जगह काम पर लगाया जाता है, सुपरवाइजर मुर्गा और बोतल मांगते हैं, खाने के टिफ़िन को खोलकर, सूंघकर चेक किया जाता है, जूते उतरवाए जाते हैं, बात-बात पर झिड़कियां, दुत्कारें सहनी होती हैं, तीन महीने पहले एक मज़दूर का पूरा हाथ मशीन में कट गया था कोई मुआवज़ा नहीं मिला। वे वहां मौजूद थे, कटा हुआ हाथ दिखा रहे थे..". सुनकर समझ आया, मोदी किस तरह का 'अमृत काल ला रहे हैं।

'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' की टीम के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही, मज़दूर इस संगठन से जुड़ने का फ़ैसला कर चुके थे। संगठन की ओर से कामरेड्स नरेश, सत्यवीर सिंह, रिम्पी और राजेश जो इसी कंपनी में काम करते हैं, ने अपने विचार रखे। "आप लोग अभी तक असंगठित थे अब, 'वमानी मज़दूर संघर्ष समिति' के झंडे के तले संगठित हो चुके हैं जो 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' से सम्बद्ध है। मोदी-खट्टर के डबल इंजन वाले भाजपा शासन की हकीक़त है कि नागरिक संवैधानिक या श्रम कैसा भी अधिकार हो, सब क़िताबों में इसी तरह लिखे रहेंगे, लेकिन लागू कुछ भी नहीं होगा। मालिकों को अपनी मनमानी करने की आज़ादी होगी। लोगों को वे अधिकार ही उपलब्ध होंगे जिन्हें हांसिल करने की पीड़ित समुदाय में हिम्मत होगी। ठीक वैसे ही जैसे देश के किसान मोदी सरकार की छाती पर बैठकर हासिल कर चुके हैं। इसीलिए मोदी सरकार 44 श्रम क़ानूनों को छीनकर 4 लेबर कोड लाने के एजेंडे पर ज़ोर नहीं दे रही। फासिस्ट हुकूमतें ऐसे ही चलती हैं; 'जो करो, वह कहो मत और जो कहो, वह करो मत'!"

सभा पूरी तरह शांतिपूर्ण तथा अनुशासित रही। मज़दूरों की आवाज़ तल्ख़ थी लेकिन मालिकों को कोई अपशब्द नहीं बोला गया। फ़रीदाबाद के सहायक श्रमायुक्त को मज़दूरों की आक्रोशपूर्ण सभा की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पृथला की ये फैक्ट्री चूंकि पलवल ज़िले में पड़ती है ये मुद्दा सहायक श्रमायुक्त पलवल देखेंगे। 5 मिनट बाद ही सहायक श्रमायुक्त पलवल, सुरेन्द्र सिंह जी का फ़ोन आ गया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मज़दूरों के साथ न्याय होगा और पलवल से श्रम इंस्पेक्टर को वहां भेज दिया गया है। लगभग आधे घंटे बाद श्रम इंस्पेक्टर पलवल, महेश चंद, श्रम इंस्पेक्टर फ़रीदाबाद अमर सिंह, सभा में पहुंच गए।

श्रम इंस्पेक्टर, पलवल ने मज़दूरों को आश्वस्त किया, "आपकी जो भी मांगें हैं, हमें दे दो। मालिकों, मज़दूरों की मीटिंग पलवल श्रम कार्यालय में बुलाई जाएगी। उन्होंने यह भी गारंटी ली कि सभा आयोजित कर संगठन बनाने के लिए किसी भी मज़दूर के साथ बदले की भावना से कार्यवाही नहीं होगी'। हालांक मज़दूर चाहते थे कि ये आशवासन उन्हें, कंपनी के प्रबंधन की तरफ से मिले। श्रम इंस्पेक्टर पलवल ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारीयों को सभा में बुलाया। तब तक मज़दूरों ने अपनी मांगें तैयार कर लीं जिसकी सॉफ्ट कॉपी कंपनी प्रबंधन तथा श्रम इंस्पेक्टर को उसी वक़्त उपलब्ध करा दी गई। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधकों ने भी मज़दूरों को आश्वस्त किया कि बुधवार 25 अक्टूबर को 2:30 बजे पलवल श्रम कार्यालय में त्रिपक्षीय मीटिंग कर सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और किसी भी मज़दूर के विरुद्ध

शेष पेज तीन पर

'अदालत का आदेश लागू करो' लखानी मज़दूरों की ललकार

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा

'लखानी फुटवेयर प्रा. लि, 266 सेक्टर 24, फ़रीदाबाद द्वारा मज़दूरों की ढाई साल से लंबित ग्रेचुटी की रक़म का भुगतान कराने के माननीय श्रम अदालत के आदेश का अनुपालन कराने में फ़रीदाबाद प्रशासन की नाकामी से गुस्साए लखानी में काम कर चुके मज़दूरों ने 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' तथा 'लखानी मज़दूर संघर्ष समिति' के संयुक्त बैनरों तले 26 अक्टूबर को लघु सचिवालय स्थित, उप-आयुक्त, कार्यालय पर ज़ोरदार आक्रोश मार्च निकाला। मुख्य द्वार पर सभा की तथा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सुबह 10 बजे से ही लाल झंडे, बैनर व तख्तियां लिए लखानी में काम कर चुके मज़दूर, जिनमें लगभग आधी महिलाऐं थीं राजस्थान सेवा सदन के सामने वाले नुक्कड़ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए थे।

'श्रम अदालत का आदेश लागू कराने में नाकाम फ़रीदाबाद प्रशासन शर्म करो', 'क़ानून की नज़र में सब बराबर हैं, यह भी एक जुमला है', 'अदालत का हुक्म मज़दूरों के हित में हो, तो वह लागू नहीं होता; ये कैसा इंसाफ़ है', 'अदालतों से भी न्याय नहीं, मज़दूर इंसाफ़ के लिए कहां जाएं?', 'सारा शासन तंत्र मालिकों के लिए ही क्यों काम करता है?', 'प्रशासन, मज़दूरों पर गुर्राता है, मालिकों के आगे बिछ जाता है', 'सबको घर, सबको काम; वर्ना होगी नींद हराम'; मज़दूर इन नारों से लिखे पोस्टर अपने बदन पर चिपकाए हुए थे तथा क्रांतिकारी नारों की तख्तियां लिए हुए थे।

सभा को कामरेड्स नरेश, सत्यवीर सिंह, अशोक, रजनीश, चंदन तथा सीमा देवी ने संबोधित किया। वक्ताओं ने बताया कि क़ानून अगर मालिक और मज़दूर के लिए बराबर होता, जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है तो मज़दूरों को श्रम अदालत का आदेश लागू कराने के लिए एक दफ़्तर से दूसरे दफ़्तर न भटकना पड़ता।

फ़रीदाबाद स्थित सहायक श्रमायुक्त की माननीय अदालत ने, दिनांक 10.05.2020 को लखानी फुटवेयर प्रा. लि, 266, सेक्टर 24, फ़रीदाबाद, को आदेश दिया था कि वे अपने मज़दूरों रजनीश तथा भूपेन्द्र को 9 जून 2021 से लंबित, उनकी ग्रेचुटी की रक़म का भुगतान उसी तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज की दर से तत्काल करें। लखानी कंपनी ने उक्त आदेश के विरुद्ध न कोई अपील की है और न आज तक भुगतान ही किया है। ज़िला वसूली अधिकारी तथा जिला कलेक्टर द्वारा वसूली के आदेश जारी हुए 4 महीने हो चुके हैं। ज़िले के इतने बड़े अधिकारियों का आदेश नायब तहसीलदार नहीं कर रहा और उन्हें इस हुक्म-अदूली का बुरा नहीं लग रहा। इसे किस तरह समझा जाए?

मज़दूरों के हित में फ़ैसला हुआ हो तो उसे लागू कराने वाली फ़ाइल एक टेबल से दूसरी टेबल तक स्वयं अपनी नैसर्गिक गति से क्यों नहीं चलती? उसे मज़दूरों को धकेलना क्यों पड़ता है? जिला वसूली अधिकारी का कहना है उन्होंने आर सी काट दी, अब आगे उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है!! तहसीलदार से मिलकर भी वसूली कराने की अपील कर चुके हैं। उनका कहना है मेरे पास तो बड़खल तहसील का अतिरिक्त कार्यभार है मैं, बड़खल का तहसीलदार थोड़े ही हूं। मतलब सरकार ने बड़खल का तहसीलदार नियुक्त नहीं किया तो क्या ये मज़दूरों का क़सूर है? गौंछी नायब तहसीलदार का कार्यालय में तो कार्य होता ही नज़र नहीं आता। एक के बाद एक आश्वासन ऐसी मासूमियत से थमाए जाते हैं कि बंदे को लगेगा घर पहुंचने से पहले उसका काम हो चुका होगा लेकिन कागज़ उस हवेली से लखानी की फैक्ट्री की तरफ़ एक इंच नहीं बढ़ता।

'लखानी मज़दूर संघर्ष समिति' ने जब 20 अक्टूबर को तहसीलदार से मिलने के बाद आंदोलन करने की घोषणा की तब गौछी नायब तहसीलदार ने लखानी की कंपनी में वसूली के नोटिस भेजे जबकि उन पर तारीख 27 सितम्बर लिखी हुई है!! गौंछी से, सेक्टर 24 पहुंचने में पत्र ने, पूरे 24 दिन लिए। 10 मई के आदेश की वसूली के आदेश भेजने में वसूली विभाग ने पूरे 5 महीने का वक़्त लिया।

दरअसल डबल इंजन की भाजपाई सरकार की कड़वी हकीक़त ये है कि जिस मुद्दे से, समाज हिन्दू-मुस्लिम में बंटता हो, गाय-गोबर का मामला हो, उसे उठाना, आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है, बाक़ी जाए भाड़ में!! प्रशासनिक अधिकारी बहुत काइयां होते हैं. वे अच्छी तरह जानते हैं, राजनीतिक मा-बदौलत क्या चाहते हैं।

उन्हीं फाइलों को आगे बढ़ाया जाता है, बाक़ी फाइलें किनारे होती जाती हैं। मौजूदा खट्टर सरकार तथा मोदी सरकार, अभी तक की सबसे ज्यादा जन-विरोधी तथा मज़दूर-विरोधी सरकारें हैं। हम विनम्रतापूर्वक आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि फ़रीदाबाद में श्रम क़ानूनों का अनुपालन नहीं हो रहा है। कारखाना मालिकों द्वारा, मज़दूरों का शोषण-उत्पीड़न चरम पर है। 'इस्तीफे लिख दो, आपका सारा भुगतान हो जाएगा', कह कर लखानी ने इन मज़दूरों से इस्तीफे लिए और 2 साल तक भुगतान नहीं किया। न्याय पाने के लिए ये ग़रीब मज़दूर जो मात्र 10,000 रुपयों में पूरे परिवार का पूरे महीने का खर्च चलाने को मज़बूर हैं, श्रम अदालत गए। लखानी, अदालत का हुक्म मानने को तैयार नहीं, और प्रशासन आदेश को लागू नहीं करा पाया। ग्रेचुटी का भुगतान 10 दिन के अंदर करना होता है। इसीलिए कम्पनी एक्ट के अनुसार लखानी फुटवेयर प्रा लि को, उसके लिए प्रावधान करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, लेकिन कंपनी विभाग भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। सारे सरकारी इदारे पंगु किए जा चुके हैं।

इस प्रदर्शन और आंदोलन में मज़दूरों ने बस एक ही मांग का ज्ञापन उपायुक्त को दिया था। माननीय श्रम अदालत के फैसले को तुरंत लागू कराया जाए जिससे क़र्ज़ में डूबे मज़दूरों को न्याय मिल सके। भुगतान में देरी के लिए कंपनी मालिक तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाए। श्रम अदालत के आदेशानुसार, मज़दूरों की ग्रेचुटी का पैसा 10 दिन में उनके खातों में जमा न होने की स्थिति में, फ़रीदाबाद के दूसरे कारखानों के मज़दूरों को शामिल करते हुए आंदोलन को अगले चरण में ले जाया जाएगा, उसे और तेज़ किया जाएगा। मज़दूर अच्छी तरह जान चुके हैं कि वे, अगर संगठित होकर, नहीं लड़े तो उन्हें महीने की जो पगार तय हुई है, वह भी नहीं मिलने वाली। अपने संगठन, क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा को फ़रीदाबाद के हर कारख़ाने में ले जाने के अहद और बुलंद नारों के साथ सभा समाप्ति की घोषणा हुई।